

## राज्य स्तरीय

### 100 प्रतिशत जल में घुलनशील उर्वरक मिश्रण का थोक उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र में प्रविष्टि(संशोधन) हेतु जाँच-पत्र।

1. आवेदक के आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।
2. आवेदक के पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।
3. जी0 एस0 टी0 प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति ।
4. संशोधन शुल्क—रु0 150/- का बिहार कोषागार द्वारा निर्गत चालान की मूल प्रति ।
5. मूल प्राधिकार पत्र (Letter of Authorisation) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।
6. (क) प्रपत्र-स्रोत“ओ” की मूल प्रति एवं निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति ।  
(ख) सरकार द्वारा अधिसूचित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का प्रपत्र-J एवं प्रपत्र-L में निर्गत (S.O.2900(E) कंडिका-1 के (i) से (viii) तक वर्णित विशिष्टियाँ सहित जाँच प्रतिवेदन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति)
- (ग) S.O.2900(E) के कंडिका 2 के (i), (ii) एवं (iii) में वर्णित अपेक्षाओं से संबंधित दस्तावेज ।  
(घ) आधान या थैले पर अंकित विशिष्टियों को 18"x4" आकार के रंगीन लेबल पर अंकित कर सभी छायाप्रति कागजात का स्वअभिप्रमाणित प्रति ।
7. यदि आयातक है तो:  
(क) आयातक प्रमाण प्रत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति ।  
(ख) निर्यातक के द्वारा आपूर्ति (Source of Origin) आदेश की स्वअभिप्रमाणित प्रति  
(ग) आयातित उर्वरक का सरकारी संस्थान के गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का विश्लेषण प्रतिवेदन (L-4)  
(घ) प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग-अलग लदान बिल(Bill of Lading) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।

**नोट:-** आवेदक द्वारा सभी कागजातों का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपलोड किया जाना आवश्यक है।